(389)

Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
संख्या – 17–विशेष सर्वेक्षण–भ्रमण– 134 / 2017 11016

प्रेषक,

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी,
बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, अरवल,
शिवहर, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ,
सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, प0 चम्पारण,
बांका, जमुई, शेखपुरा, मुंगेर एवं नालंदा।

पटना, दिनांक :–13-10-2020

विषय :– विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के दौरान हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों का दायित्त्व सुनिश्चित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके जिलों में प्रथम चरण में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य प्रारंभ है। इस कार्य के दौरान हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों का दायित्त्व अत्यंत महत्त्वपूर्ण है और इस हेतु एकरारनामा भी किया गया है। जिलावार निम्न रूप हवाई सर्वेक्षण एजेंसी निर्धारित है:–

क्र0	हवाई सर्वेक्षण एजेंसी का नाम	हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के साथ सम्बद्ध जिला
01.	IL&FS Agency	मुंगेर, शेखपुरा, नालंदा
02.	IIC Agency	शिवहर, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज, कटिहार, बेगुसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, अरवल, पूर्णिया
03.	GISC Agency	सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, बांका, पश्चिम चंपारण, जमुई

हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों के निम्न महत्वपूर्ण दायित्व है:–

1. **प्रत्येक आवंटित जिला में कार्यालय खोला जाना एवं तकनीकी कर्मियों को कार्यालय में बहाल करना:–** जिला बन्दोबस्त कार्यालय द्वारा संबंधित हवाई सर्वेक्षण एजेंसी को स्थान उपलब्ध कराया जाएगा ताकि हवाई सर्वेक्षण एजेंसी अपने उपस्करों यथा ई0टी0एस0, डी0जी0पी0एस0, प्लॉटर, कम्प्यूटर, तथा समर्पित किए जाने वाले मानचित्रों को सुरक्षित रख सके और जिलों में पदस्थापित हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के कॉडिनेटर, ऑपरेटर बैठकर कार्य कर सके।
2. **सर्वेक्षण पूर्व संदर्भ बिन्दुओं (जी0सी0पी0) का नेटवर्क जिला बन्दोबस्त कार्यालय में समर्पित किया जाना:–** हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों द्वारा फ्लाईंग के पूर्व मोन्यूमेंटेशन के साथ संदर्भ बिन्दुओं के रूप में एक नेटवर्क का निर्माण किया जाना है। संबंधित संदर्भ बिन्दु यथा प्राथमिक संदर्भ बिन्दु (PCP - Primary Control Points), द्वितियक संदर्भ बिन्दु (SCP - Secondary Control Points) एवं तृतीयक संदर्भ बिन्दु (TCP - Tertiary Control Points) का नेटवर्क जिला बंदोबस्त कार्यालय एवं निदेशालय को समर्पित किया जाना है। प्रत्येक जिला में अनिवार्यतः एक PCP (Primary Control Points) तथा अमूमन 16 कि0मी0 के ग्रिड पर SCP (Secondary Control Points) तथा आवश्यकतानुरूप TCP (Tertiary Control Points) मिलेंगे। विदित हो कि अब हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों को मानचित्र के स्थल सत्यापन पश्चात् प्रत्येक त्रिसीमाने को बिन्दुवत स्थल पर चिह्नित कर मोन्यूमेंट करना है तथा डी0जी0पी0एस0 मशीन द्वारा 45 मिनट का ऑबजर्वेशन किया जाना है।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक राजस्व ग्राम में दो स्थाई बिन्दुओं के रूप में (TCP - Tertiary Control Points) चिह्नित किया जाना है। प्रत्येक त्रिसीमाना के संगत टाई लाईन के साथ ACP (Auxiliary Control Points) को भी चिह्नित किया जाना है।

3. **राजस्व ग्राम मानचित्र को संदर्भ बिन्दुओं के कॉर्डिनेट मान के साथ समर्पित किया जानाः–** मोन्यूमेंट किए गए त्रिसीमानों के डी0जी0पी0एस0 ऑब्जर्वेशन के बाद यदि पूर्व के कॉर्डिनेट मान से अंतर आता है तो डी0जी0पी0एस0 ऑब्जर्वेशन वाले मान को शुद्ध माना जाएगा तथा इसी के संगत जी0सी0पी0 नेटवर्क में सुधार किया जाएगा। त्रिसीमाना के कॉडिनेट मान को भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा तैयार किए गए GCN सॉफ्टवेयर में डाटा संधारित करना।
4. **राजस्व ग्राम मानचित्र पर त्रि–सीमाना बिन्दुओं को कॉर्डिनेट मान के साथ प्रदर्शित करना :–**
5. **सर्वेक्षण (किस्तवार) प्रारंभ के पूर्व समर्पित मानचित्र का स्थल सत्यापन किया जानाः–**
6. **सत्यापन में त्रुटि पाये जाने के बाद सुधार हेतु पोस्ट प्वाईटिंग के रूप में डी0जी0पी0एस0 प्रेक्षण किया जानाः–** कंडिका–2 के सदृय कार्रवाई।
7. **खेसरों का तुलनात्मक प्रतिवेदन समर्पित किया जानाः–**राजस्व ग्राम सीमा सत्यापन के पश्चात् जब राजस्व ग्राम का फैलाव सुनिश्चित हो जाता है तब गत सर्वे के खेसरों की तुलना विशेष सर्वेक्षण के खेसरों के साथ विहित प्रपत्र में अनिवार्यतः शिविर कार्यालय में उपलब्ध कराना है।
8. **प्रत्येक दिन के कार्य हेतु दैनंदिनी संधारित किया जानाः–** प्रत्येक दिन के कार्य हेतु दैनंदिनी संधारित कर जिला बंदोबस्त कार्यालय को दें।
9. **प्रत्येक राजस्व ग्राम हेतु एक ई0टी0एस0 ऑपरेटर एवं दो सपोर्ट स्टॉफ उपलब्ध कराया जानाः–**
10. **एजेंसी द्वारा एल0पी0एम0 तैयार करना एवं रैयतों में वितरित करनाः–**हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों द्वारा एल0पी0एम0 (Land Parcel Map) निर्माण का कार्य एन0आई0सी0 द्वारा विकसित "भू–नक्शा सॉफ्टवेयर" पर ऑनलाईन किया जाना है तथा प्रत्येक भू–धारी रैयतों को प्रत्येक खेसरे के विरूद्ध एक एल0पी0एम0 समर्पित किया जाएगा, जिसके विरूद्ध रैयत आपत्ति देने के लिए स्वतंत्र होगें। वितरण के क्रम में प्रपत्र–7 एवं एल0पी0एम0 उपलब्ध कराये जाने का तामिला भी अनिवार्य होगा।
11. **सुनवाई के दौरान सहयोग करना एवं आपत्तियों की पंजी संधारित करनाः–**
12. **सॉफ्ट डाटा वेस (डी0टी0डी0वी0) में विभिन्न चरणों के आपत्तियों की फ्लैगिंग करनाः–** प्रपत्र–8 एवं प्रपत्र–14 में समस्त आपत्तियों को चरणवार खेसरों के विरूद्ध डी0टी0डी0बी0 (Digital Topographic Data Base) में चिह्नित किया जाना है।
13. **रैयतों को सुनवाई की तिथि की सूचना उपलब्ध कराना।**
14. **रैयतों को सुनवाई के आदेश के अनुरूप मानचित्र में सुधार करना।**
15. **प्रत्येक राजस्व ग्राम के सॉफ्ट डेटा की लेयरवार भौतिक एवं तार्किक शुद्धता की जाँच करना :–** राजस्व ग्राम के अंतर्गत डिजिटाईज्ड किये गए समस्त सॉफ्ट डेटा भौतिक रूप से आर्थो फोटोग्राफ पर अपनी जगह दिखने चाहिए। अगर कोई विचलन है तो उसे राजस्व अधिकारियों के आदेश की संगति में होना चाहिए।

    डिजिटाईज्ड सभी फीचर के मध्य तार्किक असंगति नहीं होनी चाहिए।
16. **हवाई फ्लाईंग से अंतिम प्रकाशन तक प्रत्येक चरण में डाटा की गुणवत्ता की जांच करना।**
17. **प्रत्येक चरण में उत्पादित सॉफ्ट डेटा का सुरक्षित बैकअप संधारित करना।**
18. **उत्पादित किए गए अंतिम सॉफ्ट डेटा की टोपोलौजिकल शुद्धता एवं फॉर्मेट की इंटर ऑपरेबिलिटी सुनिश्चित करना।**
19. **कृत कार्यों का प्रतिवेदन एम0आई0एस0 में अपडेट करना।**

382

हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों के स्तर से उक्त कार्यों के अतिरिक्त अन्य दायित्व भी एकरारनामा के अनुसार है। एकरारनामा के प्रति भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के वेबसाईट www.dlrs.bihar.gov.in भी दी गई है वहाँ से आवश्यकतानुसार प्राप्त की जा सकती है।

अनुरोध है कि हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों के स्तर से उक्त दायित्व का अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाए एवं निरंतर हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों के स्तर से किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा भी की जाए।

विश्वासभाजन

13/10/20

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक – 17–विशेष सर्वेक्षण–भ्रमण– 134/2017 11016 **पटना दिनांक** :– 13-10-2020

प्रतिलिपि :– राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर से जिलों के लिए प्राधिकृत वरीय नोडल पदाधिकरियों/निदेशालय के स्तर से जिला के लिए पदाधिकृत नोडल पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–विशेष सर्वेक्षण–भ्रमण– 134/2017 11016 **पटना, दिनांकः**– 13-10-2020

प्रतिलिपि :–सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय/श्री विजय साम्रजय, सहायक, बी0पी0एम0यू0, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि तीनों हवाई एजेंसियों के साथ किए गए एकरारनामा को भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित किया जाए।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक – 17–विशेष सर्वेक्षण–भ्रमण– 134/2017 11016 **पटना दिनांक** :– 13-10-2020

प्रतिलिपि :– सभी जिलों से संबंधित तीनों हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–विशेष सर्वेक्षण–भ्रमण– 134/2017 11016 **पटना, दिनांकः**– 13-10-2020

प्रतिलिपि :–सुश्री सुरभि सिंह, एम0आई0एस0 डाटा एनालिस्ट, आई0टी0 सेल को निदेशालय के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक – 17–विशेष सर्वेक्षण–भ्रमण– 134/2017 11016 **पटना दिनांक** :– 13-10-2020

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

13/10/20